न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 173/2022
प्रकरण दायर दिनांकः—15.06.2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 18.07.2024

उनवान

. अशोक कुमार पुत्र भोलाराम जाति गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द वार्ड नं. 10, तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

. तहसीलदार बसवा जरिये लैण्ड होल्डर तह. बसवा हाल तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं उदघोषणा

प्रार्थी द्वारा दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं उदघोषणा इस आशय का पेश किया कि वादी की ातेदारी भूमि ग्राम श्यालावासखुर्द तह. बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में खाता सं. नया 2 पुराना 77 कुल किता 05 कुल रकबा 0.82 हैक्ट. जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 की खातेदारी दर्ज एवं खाता सं. नया 44 पुराना 45 के खसरा नं. 465 रकबा 0.13 हैक्टे., जिसमें वादी का हिस्सा /84 खातेदारी में दर्ज है तथा खाता सं. नया 91 पुराना 86 कुल किता 23 कुल रकबा 3.91 हैक्ट. जसमें वादी का हिस्सा 237/10948 खातेदारी में दर्ज है तथा खाता सं. नया 90 पुराना 84 कुल कता 30 कुल रकबा 6.61 हैक्ट. जिसमें वादी का हिस्सा 1/28 खातेदारी में दर्ज है स्थित है। जिसे ागे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। उक्त भूमि मुतदाविया में वादी के ता भोलाराम की मृत्यु के पश्चात जब वारिसान के आधार पर नामान्तकरण खोला तब सहवन से ादी का बोलता नाम पप्पू पुत्र भोलाराम उक्त भूमि मुतदाविया में अंकित कर दिया। जबकि वादी का ास्तविक व सही नाम अशोक कुमार पुत्र भोलाराम सभी दस्तावेजात विद्युत बिल, आधार कार्ड, बैंक ासबुक, राशन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजातों व अन्य सभी दस्तावेजों में अशोक कुमार पुत्र भोलाराम ुर्जर ही दर्ज है। इसलिए उक्त भूमि मुतदाविया में वादी का नाम पप्पू पुत्र भोलाराम हजफ किया ाकर वादी का वास्तविक व सही नाम दस्तावेजों के आधार पर अशोक कुमार पुत्र भोलाराम दर्ज कया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि खातेदारी भूमि ग्राम श्यालावासखुर्द ह. बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में खाता सं. नया 82 पुराना 77 कुल किता 05 कुल कबा 0.82 हैक्ट. जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 की खातेदारी दर्ज है एवं खाता सं. नया 44 पुराना 5 के खसरा नं. 465 रकबा 0.13 हैक्टे., जिसमें वादी का हिस्सा 1/84 खातेदारी में दर्ज है तथा खाता सं. नया 91 पुराना 86 कुल किता 23 कुल रकबा 3.91 हैक्ट. जिसमें वादी का हिस्सा 237/10948 खातेदारी में दर्ज है तथा खाता सं. नया 90 पुराना 84 कुल किता 30 कुल रकबा 6.61

२५६–

Scanned with OKEN Scanner

हैक्ट. स्थित है जिसमें भूमि मुतदाविया में वादी का वारिसान के आधार पर खातेदारी में वादी का नाम पप्पू पुत्र भोलाराम दर्ज हो गया उसको हजफ किया जाकर वादी का सही नाम दस्तावेजातों के आधार पर अशोक पुत्र भोलाराम खातेदारी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास खुर्द रिपोर्ट दिनांकः 03.06.2023 प्राप्त हुई। साक्ष्यवादी शपथ पत्र अशोक कुमार व जगत सिंह के पेश किये गये। दस्तावेजात प्रदर्श किये गये। प्रकरण में नायब तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 07.03.2024 प्राप्त हुई। प्रकरण में वादी वकील बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादी वकील बहस पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास खुर्द रिपोर्ट दिनांकः 03.06.2023 के अनुसार मौके/मजमे आम में की गई जानकारी एवं दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, 10 वी की अंकतालिका के पप्पू पुत्र भोलाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र भोलाराम शुद्ध किया जाना उचित है। नायब तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 07.03.2024 में भी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में पप्पू पुत्र भोलाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र भोलाराम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। अतः प्राप्त जॉच रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन से वादी का नाम सहवन से गलत दर्ज होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से वादी वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात व जॉच रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादी वाद पत्र दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं उदघोषणा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बॉदीकुई को आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्यालावासखुर्द तह. बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि मुतदाविया खाता सं. नया 82 पुराना 77 कुल किता 05 कुल रकबा 0.82 हैक्ट. जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 की खातेदारी दर्ज है एवं खाता सं. नया 44 पुराना 45 के खसरा नं. 465 रकबा 0.13 हैक्टे., जिसमें वादी का हिस्सा 1/84 खातेदारी में दर्ज है तथा खाता सं. नया 91 पुराना 86 कुल किता 23 कुल रकबा 3.91 हैक्ट. जिसमें वादी का हिस्सा 237/10948 खातेदारी में दर्ज है तथा खाता सं. नया 90 पुराना 84 कुल किता 30 कुल रकबा 6.61 हैक्ट. में वादी का नाम पप्पू पुत्र भोलाराम के स्थान पर वादी का सही नाम अशोक पुत्र भोलाराम दुरूस्त किया जाकर विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

18.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner